कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांक शिविरा माध्य /संस्था/सी–2/इति–वाणि/इतिहास/स्थानान्तरण/2020-21 के तहत कैलाश चन्द बबेरवाल व्याख्याता इतिहास राउमावि, डूंगरवाता–दौसा का स्थानांतरण राउमावि, [illegible] किया गया। कैलाश चन्द बबेरवाल ने अपने स्थानांतरण के विरूद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 288/2021 कैलाश चन्द बबेरवाल बनाम राज्य सरकार व अन्य में दायर की। माननीय अपील अधिकरण के निर्णय/आदेश दिनांक 19.01.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी विभाग को उसे राज्य सरकार व विभाग की स्थानान्तरण नीति एवं विभागीय दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में अभ्यावेदन विधिनुसार एक आख्यात्मक आदेश पारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किए है।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के माह फरवरी 2022 में सेवानिवृति होने के आधार पर अपना पदस्थापन दौसा जिलें में यथावत राउमावि डूंगरवाता अथवा दौसा जिलें में कही भी किए जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/अपीलसंख्या288/कैलाशचन्द/को.के/20–21 दिनांकः– 24.2.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि)
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैवसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Secondary School, Dungarwata Tehsil Lawan
District Dausa to Government senior